DECREEE IN ORIGINAL SUIT

(Code of Civil Procedure 1908, Order XX Rules 6 and 7)
Civil Suit No. **340A** of **2026 RCS**
THE COURT OF **न्यायालयः सत्रहवें जिला न्यायाधीश, ग्वालियर (म0प्र0)**
(पीठासीन अधिकारी– रविशंकर दोहरे)

1– बलबीर सिंह पुत्र तखत सिंह, आयु–49 वर्ष, कृषि, निवासी ग्राम गिरगाँव, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म०प्र०)
2– तार सिंह पुत्र तखत सिंह, आयु 35 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम गिरगाँव, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म०प्र०)

................**वादीगण**

विरूद्ध

1– दिलीप सिंह पुत्र स्व0 रामचरन सिंह, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी–ग्राम गिरगाँव, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म०प्र०)
2– अंकुर शर्मा पुत्र स्व० रामकुमार शर्मा, आयु लगभग वर्ष, निवासी–पोस्ट ऑफिस गली, परशुराम धाम सलेमपुर, देवरिया उ०प्र०
3– पुरुषोत्तम सिंह पुत्र स्व० रामगोविन्द, आयु लगभग 65 वर्ष,
4– केशव सिंह पुत्र स्व० रामगोविन्द, आयु लगभग 57 वर्ष,
5– सभाराम सिंह पुत्र स्व० रामगोविन्द, आयु–लगभग 45 वर्ष,
6– श्रीमती किन्तोबाई पत्नी स्व. रामगोविन्द, आयु लगभग 85 वर्ष,
7– श्रीमती सुनीता पुत्री स्व० श्री रामचरन सिंह, पत्नी श्री अरविन्द सिंह आयु–लगभग 52 वर्ष,
8– श्रीमती संजोबाई पुत्री स्व० रामचरन सिंह, पत्नी श्री रवि सिंह लगभग 38 वर्ष,
9– ओमप्रकाश पुत्र स्व० श्री चाहती सिंह **मृत** वारिसान
9ए–श्रीमती रामकली पत्नी स्व० ओमप्रकाश, आयु लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम गिरगाँव, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म०प्र०)
9बी–श्रीमती मंजेश पत्नी श्री लोकेश कंसाना, पुत्री स्व० ओमप्रकाश, आयु– लगभग 40 वर्ष, निवासी– ग्राम निबी, जिला मुरैना (म०प्र०)

04-08-26
रविशंकर दोहरे
सत्रहवें जिला न्यायाधीश
जिला–ग्वालियर (म.प्र.)

10—अतुल सिंह पुत्र श्री मेहताब सिंह, निवासी—भिण्ड रोड, जिला ग्वालियर म.प्र.

11—राकेश कुमार पुत्र श्री रामप्रसाद, आयु—लगभग वर्ष, निवासी— 21 भगत सिंह नगर ग्वालियर

12—मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर ग्वालियर कार्यालय—न्यू कलेक्ट्रेट भवन, सिटी सेन्टर ग्वालियर म०प्र०

------**प्रतिवादीगण**

Plaint for- वाद वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु।

वादीगण द्वारा सुश्री सुदीक्षा तोमर अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा श्री सुबोध पाराशर अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 2, 3, 5 एवं 10 स्वयं।
प्रतिवादी कमांक 4 द्वारा श्री ऋषि कुमार सोनी अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 7 द्वारा श्री सोमप्रताप सिंह तोमर अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 9 मृत।
प्रतिवादी कमांक 9ए, 9बी द्वारा श्री सोमप्रताप सिंह तोमर अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 12 द्वारा श्रीमती मंजुला त्रिपाठी शासकीय अधिवक्ता।
प्रतिवादी कमांक 6 व 8 पूर्व से एकपक्षीय।
प्रतिवादी कमांक 11 अनुपस्थित।

It is ordered and decreed that

उभयपक्ष के मध्य प्रकरण में राजीनामा होने से प्रस्तुत दावा निम्नानुसार जयपत्रित किया जाता है:—

1. वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 1, 2, 3, 4, 5, 9ए, 9बी तथा 10 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा आवेदन पत्र के आधार पर इस प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
2. वादीगण एवं प्रतिवादी कमांक 1, 2, 3, 4, 5, 9ए, 9बी तथा 10 की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. डिकी का भाग होगा।
3. उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
4. अधिवक्ता शुल्क प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन रहते हुये नियम 523 म.प्र.व्यवहार न्यायालय अधिनियम एवं नियम के अनुसार संगणित अथवा सूची अनुसार पक्षकारों के मध्य जो भी देय पायी जाये, उनमें से जो भी न्यूनतम हो, इस प्रकरण के वाद व्यय में समाहित की जाये।

04-8-26
रविशंकर दोहरे
सत्रहवे जिला न्यायाधीश
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

and that the sum of Rs. be paid by the Plaintiff to the Defandant Plaintiff

on account of costs of this suit with interest thereon at the rate of Percent per annum from this date of realization Given under my hand and the seal of the Court this **04 August, 2026.** 04-8-26

(रवि शंकर दोहरे)
सत्रहवे जिला न्यायाधीश
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

COSTS OF SUITS

Plaintiff			Defendant		
	Rs.	***P.***		***Rs.***	***P.***
1- Stamp for plaint	2100	-	*Stamp for power*	50	00
2- Stamp for application & affidavit.	65	00	*Stamp for exhibits & Application& affidavit*	-	00
3- Stamp for powers	10	00	*Stamp for petitions*	-	-
4- Stamp for exhibits	-	-	*Pleader's fees (प्रमाण पत्र संलग्न नहीं)*	-	-
5- Pleader's fee on Rs. (प्रमाण पत्र संलग्न नहीं)	-	-	*Subsistence for witness*	-	-
6- Subsistence for witness	-	-		-	-
7- Services of process	96	00	*Service of process*		
8- Commissioners fees	-	-	*Commissioners*	-	-
Total	**2271**	**00**	**Total**	**50**	**00**

07-8-26

(रवि शंकर दोहरे)
सत्रहवे जिला न्यायाधीश
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

न्यायालय ~~प्रथम~~ षष्टम् जिला न्यायाधीश महोदय ग्वालियर (म0प्र0)

सिविल वाद क्रमांक ~~120~~ 346 / 2026 इ0दी0

बलवीर सिंह एवं अन्य ——— वादीगण

बनाम्

दिलीप सिंह एवं अन्य —— प्रतिवादीगण

04-02-26
रविशंकर दोहरे
सत्यापित
सत्रहवे जिला न्यायाधीश
जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

आवेदन-पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत संयुक्त राजीनामा आवेदन-पत्र।

माननीय न्यायालय,

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से संयुक्त आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1,2,3,4,5,10,11,10

1. यहकि, माननीय न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा एक वाद वास्ते घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु इन अभिवचनों के साथ कि, वादीगण एवं प्रतिवादी क्र.3 लगायत 9 के संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 1358/4 रकवा 1.055 हैक्टेयर में से भाग 876/1055 का रकवा 0.876 हैक्टेयर स्थित ग्राम गिरगांव, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर में है, जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा है। उक्त 1/4 भाग हिस्स की भूमि को विवादित बनाते हुए ही वर्तमान वाद प्रतिवादी क्रमांक 1 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 2 के हित सम्पादित विक्रयपत्र दिनांकित 07.07.2023 शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने एवं इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा चाहे जाने बावत कि प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप ना करें, बेदखल ना करें, तथाकथित विक्रयपत्र के आधार पर किसी अन्य को विक्रय ना करें। जिसमें आज तारीख पेशी प्रतिवादीगण की उपस्थिति व जवाब हेतु नियत है।

2. यहकि, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य न्यायालय के बाहर आपसी बातचीत के आधार पर समझौता हो गया है जिसके फलस्वरूप विवाद पूर्णतः समाप्त हो गया है तथा सभी पक्षकारों के मध्य स्वेच्छा से राजीनामा हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नलिखित आधारों पर राजीनामा हुआ है:-

   1. वादीगण एवं प्रतिवादीगण यह स्वीकार करते है कि प्रतिवादी क्र.1 के पक्ष में निष्पादित ई: पंजीकृत मुख्त्यारनामा दिनांक 10.08.2022, जिसका ई:प्रिंट दिनांक 11.08.2022 है, जो पूर्णतः वैध, विधिसम्मत एवं प्रभावशाली है। उक्त मुख्त्यारनामा के संबंध में अब किसी भी पक्षकार को किसी प्रकार की कोई आपत्ति, दावा अथवा विवाद करने का अधिकार नहीं रहेगा।

   2. वादीगण एवं प्रतिवादीगण यह भी स्वीकार करते है कि प्रतिवादी क्र. 2 के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 07.07.2023,

ई-प्रिंट दिनांक 10.07.2023, पंजीयन क्र.MP142592023A12099533 पूर्णतः वैध एवं विधिसम्मत है। उक्त विक्रपत्र के संबंध में किसी पक्षकार को कोई आपत्ति व विवाद नहीं है और ना ही भविष्य में रहेगा।

3. वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने वादपत्र में लगाए गए समस्त आरोपों एवं आपत्तियों को स्वेच्छा से वापस लेते हैं तथा स्वीकार करते है कि मुख्त्यारनामा एवं विक्रयपत्र के संबंध में अब कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष उपरोक्त मुख्त्यारनामा एवं विक्रयपत्र के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद या न्यायालयीन कार्यवाही करने से प्रतिबंधित रहेगें।

4. वादीगण एवं प्रतिवादीगण सम्पत्ति के संबंध में अब किसी भी पक्षकार का किसी प्रकार कोई दावा, अधिकार विवाद, आपत्ति अथवा प्रतिदावा शेष नहीं है।

5. वादीगण एवं प्रतिवादीगण सभी पक्षकार यह घोषणा करते हैं कि भविष्य में भी उक्त मुख्त्यारनामा दिनांक 10.08.2022 तथा विक्रयपत्र दिनांक 07.07.2023 एवं विवादित सम्पत्ति के संबंध में किसी भी व्यवहार न्यायालय, राजस्व न्यायालय, पंजीयन विभाग अथवा किसी अन्य किसी भी प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद, दावा, आपत्ति अथवा कार्यवाही प्रस्तुत नहीं कर सकेगें।

6. यहकि, हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा यह राजीनामा बिना किसी डर, भय व दवाब के पूर्ण सचेतावस्था में सक्षम गवाहान हस्तारित कर सम्पादित किया जा रहा है, जिसकी प्रत्येक शर्ते हम उभयपक्षों को मान्य एवं स्वीकार होकर हम उभयपक्षों एवं हमारे वारिसानों पर बंधनकारी रहेगी।

7. वादीगण एवं प्रतिवादीगण पक्षकारों के मध्य अब किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रहने के कारण आदेश 23 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उक्त राजीनामें को अभिलेख पर लिया जाकर राजीनामा निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। यह राजीनामा आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पारित किये जाने वाले निर्णय, आज्ञप्ति व आदेश का अभिन्न अंक रहेगा।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए उपरोक्त राजीनामें को आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. के अन्तर्गत अभिलेख पर स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार डिक्री पारित करने की कृपा करें।

स्थान – ग्वालियर
दिनांक –4 .08.2026

वादीगण
(हस्ताक्षर)

प्रतिवादीगण
(हस्ताक्षर)

(1) दार सिंह
(2)
Identified by me
Adv
(10)
(1)
(9)
(2) अंकुर शर्मा
(3) पुरुषोत्तम
(4)
(5) सन्तराम